INDIA NON JUDICIAL

IN-UP02205783250193V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

संजीव कुमार स्टाम्प विक्रेता
पता-खुशी स्टाम्प क्लाक के सामने
मंझनपुर-कौशाम्बी ACC Code-UP143765
मो0 9919356704, 9918464
ला0 नं0 77, तह0 एवं जिला-मंझनपुर कौ0

Certificate No.	:	IN-UP02205783250193V
Certificate Issued Date	:	31-Aug-2023 01:57 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up143765 MANJHANPUR/ UP-KSM
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14376504999900
Purchased by	:	SHIKHA UNNAYAN SAMITI KANAILI KAUSHAMBI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	SHIKHA UNNAYAN SAMITI KANAILI KAUSHAMBI
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	SHIKHA UNNAYAN SAMITI KANAILI KAUSHAMBI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

नोटरी
राजेश प्रसाद
एडवोकेट / नोटरी
मंझनपुर, कौशाम्बी
रजि0नं0 19511
भारत सरकार

Please write or type below this line

(प्रारूप–"अ")

हम आनन्द मोहन सिंह अध्यक्ष एवं अभिमन्यु सिंह सचिव शिक्षा उन्नयन समिति कनैली कौशाम्बी शपथ पूर्वक निम्नवत बयान करते हैं :–

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा मान्यवर कांशीराम महाविद्यालय डिपार्टमेन्ट ऑफ फार्मेसी फैजुल्लापुर कनैली कौशाम्बी नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–2024 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी ग्राम फैजुल्लापुर पो0 कनैली कौशाम्बी मे गाटा सं0–170 रकबा 0.8100 कुल रकबा 1.4040हे0 भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 170 रकबा 0.8100 एवं कुल रकबा 1.4040हे0 पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक . ...द्वारा पारित किया गया है।

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Scanned with OKEN Scanner

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था मे फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व मे कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदिको फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एंव प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मै घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मै स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

जिसकी पहचान श्री ... ने मेरे समक्ष स्वीकार किया कि इस शपथ पत्र का विषय वस्तु सत्य है।

ह0 सचिव

राजेन्द्र प्रसाद
एडवोकेट/नोटरी
मंझनपुर–कौशाम्बी भारत सरकार

सचिव
शिक्षा उन्नयन समिति
कनैली, कौशाम्बी

ह0 अध्यक्ष

अध्यक्ष
शिक्षा उन्नयन समिति
कनैली, कौशाम्बी

Scanned with OKEN Scanner